DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI WEDNESDAY, JULY 20, 2022 -----DATED----------

Kanwariya Camps Not To Be Allowed Inside Central Ridge

Forest Dept Move Aimed At Avoiding Ecological Damage

Kushagra.Dixit@timesgroup.com

New Delhi: As the annual Kanwar pilgrimage begins, Delhi government's forest department has prohibited the kanwariyas from camping inside the Central Ridge. This is meant to protect plantations and avoid other probable ecological damages possible due to camping.

According to officials, however, a few camps are still being set up on patches in the Ridge that are not under the forest department's control. Officials said that while 50% of the Central Ridge was under the department's control, the remaining area was managed by agencies like CPWD and DDA. Camps have been set up inside Buddha Jayanti Park and within some Ridge areas. The officials claimed that this was in violation of norms.

Piyal Bhattacharjee

BUDDHA JAYANTI PARK

"This year, we have refused permission for any camp to be set up on the forest department's land because this affects the ecology. It is also in violation of the Forest Conservation Act and India Forest Act. It will be very difficult to monitor any damage to the trees or ecology on the reserved forest area due to camping on a large scale," said a forest official.

The annual Kanwar yatra was stalled by the Covid-19 outbreak for two years. Earlier, the pilgrims used to camp even in the forest areas of the Ridge. "Camping activities in the forest area used to affect the local flora and fauna. Also, a plantation drive is going on in the area and the presence of the crowd at this stage may hit the greening efforts. Sustaining the new saplings in the ridge, which has a rocky terrain, is very difficult," explained another forest official.

The official added, "Conservation becomes very difficult with so many people present together and different activities like cooking and all taking place. Hence, we requested the officials concerned not to allow camping at the forest land."

According to forest officials, over 170 such camps are being set up across the city for the pilgrims. Of these, 16 camps have come up in the Ridge area.

64k illegal constructions identified in past 7 years

New Delhi: Delhi's civic bodies and the special task force (STF) under Delhi Development Authority have identified only 64,321 illegal and unauthorised constructions in the past seven years, according to a reply submitted by the housing and urban affairs ministry to the Rajya Sabha.

The ministry said while the Municipal Corporation of Delhi (MCD) and New Delhi Municipal Council (NDMC) have given data from 2016 onwards, the STF started the detection of illegal and unauthorised constructions from 2018 when it was set up.

According to the data, while MCD has identified 53,171 illegal constructions, NDMC has detected only 240 such constructions since 2016. The STF has identified 10,900 violations.

The ministry in a written reply to a query said that so far nearly 30,000 illegal and unauthorised constructions have been sealed in the national capital. In the Delhi Cantonment Board area, only five illegal constructions have been demolished and 32 properties sealed so far. TNN

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 20 जुलाई 2022

नेहरू प्लेस मार्केट : दुकानदारों को सता रहा पानी भरने का डर

■ राम त्रिपाठी, नेहरू प्लेस

बारिश होने पर नेहरू प्लेस मार्केट के दुकानदारों को बेसमेंट की दुकानों में पानी भरने का डर सताने लगता है। मार्केट के सौंदर्यीकरण के लिए पिछले 2 साल से चौतरफा खुदाई के कारण कई जगह हालात बुरे हैं।

2019 में शुरू हुई सौंदर्यीकरण की योजना का काम 18 महीने में पूरा हो जाना था। अब डीडीए ने इस साल नवंबर तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए नई डेडलाइन तक भी काम पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। डीडीए के अधिकारी भी इस सचाई को मानते हैं। वहीं आल इंडिया कंप्यूटर ट्रेडर्स असोसिएशन के प्रेजिडेंट महेंद्र अग्रवाल ने बताया कि डीडीए की लापरवाही के कारण उनका व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अंसार अली ने बताया कि 2019 से काम नहीं शुरू हुआ था तब एजेंसी को वर्क अलॉट हुआ था। योजना की डिजाइन दिसंबर 2020 में डीडीए के वाइस चेयरमैन और स्क्रीनिंग कमेटी के सामने रखे गए थे। जनवरी 2021 से काम शुरू हुआ।

काफी समय से हो रहा रेनोवेशन का काम

बरसात में नहीं भरेगा पानी : इस बार बेसमेंट में पानी भरने की स्थिति नहीं आएगी। अब पूरी व्यवस्था बन गई है। डीडीए का कहना है कि मार्केट की कुल 89 बिल्डिंग सन 75-76 की बनी हुई हैं। वहां पानी निकालने के लिए पहले से ही पंप मौजूद थे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2022 दैनिक जागरण

यमुना की सफाई को तट पर रोपे जाएंगे पौधे

संजीव गुप्ता • नई दिल्ली

- वन विभाग ने डीडीए से पौधे लगाने के लिए नदी के किनारे की भूमि मांगी
- यमुना समेत 13 नदियों को साफ करने के लिए 13 मार्च को केंद्र सरकार ने शुरू की थी योजना

मृतप्राय यमुना नदी को पुनर्जीवित करने की केंद्र सरकार की योजना पर दिल्ली सरकार का वन विभाग इसके किनारों पर पानी साफ करने वाले पौधे लगाएगा। इसके लिए विभाग ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को एक पत्र लिखकर जमीन उपलब्ध कराने के लिए कहा है।

केंद्र सरकार ने देश भर की 13 प्रमुख नदियों को 'वानिकी हस्तक्षेप' (पेड़ व पौधे लगाकर) से फिर से जीवंत करने की योजना बनाई है। इसका मुख्य उद्देश्य संचयी वन क्षेत्र को 7,400 वर्ग किमी से अधिक बढ़ाना है। गंगा को स्वच्छ बनाने के अभियान को मिली शुरुआती सफलता के बाद केंद्र ने अब यमुना, झेलम, रावी, चिनाब, ब्रह्मपुत्र, लूनी, नर्मदा, व्यास, सतलुज, यमुना, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियों का भी संरक्षण करने का फैसला लिया है। इसी वर्ष 13 मार्च को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इन सभी नदियों के कायाकल्प को लेकर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भी जारी की थी।

दिल्ली में यमुना नदी के 22 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच की जिम्मेदारी नोडल एजेंसी के रूप में वन विभाग को मिली है। विभाग यमुना नदी के किनारे जंगली कदम, यानी कैम, जामुन, अर्जुन, बुटेल इत्यादि पौधे और निर्कुंडी, सैकरम और इम्पटेरा प्रजाति की घास समेत वहां ऐसी वनस्पतियां लगाएगा, जो पानी की गंदगी को साफ करने में सहायक साबित होंगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के जवाब का इंतजार

दिल्ली के प्रधान मुख्य वन संरक्षक सीडी सिंह ने बताया कि यमुना नदी के आसपास ज्यादातर जमीन दिल्ली विकास प्राधिकरण की है, लिहाजा केंद्र की योजना पर काम शुरू करने के लिए उससे जमीन देने को कहा गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण से जवाब और जमीन मिलते ही एक कारगर रणनीति के तहत योजना पर काम शुरू किया जाएगा।

THE INDIAN EXPRESS,

Install CCTVs, dispose of garbage: HC to DDA on Ridge

New Delhi: Directing the Delhi Development Authority (DDA) to take immediate measures to stop garbage from being thrown in the Ridge area under its management, the Delhi High Court has said the DDA can install cameras, including the ones with night-vision features, to monitor and identify polluters and initiate against them for harming the ecosystem of the Central Ridge. The suggestion from the court came after it was told that garbage was being thrown there.

हिन्दुस्तान

पानी की खपत कम करने का प्रयास

योजना

■ सज्जन चौधरी

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ओर से आने वाले 20 सालों में दिल्ली में पानी की खपत को कम करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। डीडीए की ओर से जल संकट को देखते हुए प्रति व्यक्ति पानी की खपत 60 गैलन प्रति दिन से घटाकर 50 गैलन करने की योजना बनाई गई है। डीडीए का मसौदा अब आम लोगों से आपत्तियों तथा सुझावों के लिए सार्वजनिक कर दिया गया है।

डीडीए के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली की आवासीय कालोनियों में छोटे-छोटे जल शोधन प्लांट लगाए जाएंगे। आने वाले समय में बनने वाले नए आवासीय परिसरों में इन प्लांटों को अनिवार्य किया जाएगा। हमारी कोशिश है कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में पीने के पानी से अलग इस्तेमाल किए जाने वाले पानी को शोधित करने के बाद इस्तेमाल किया जाए।

मसौदे में कहा गया है कि दिल्ली के लिए कच्चे पानी की सीमित उपलब्धता की वजह से जल बोर्ड का लक्ष्य घरेलू इस्तेमाल के लिए पेयजल की मांग को कम करना है। जिसके तहत इसे घटाकर प्रति व्यक्ति 50 गैलन करने तथा पीने से अलग कार्यों के लिए उचित गुणवत्ता के रिसाइकल्ड पानी का इस्तेमाल कर पूर्ती करने के लिए कहा गया है। इसमें कहा गया है कि औद्योगिक और बागवानी/कृषि उद्देश्यों के लिए पानी की मांग को उचित गुणवत्ता मानक के रिसाइकल्ड पानी से पूरा किया जाएगा। 2.91 करोड़ लोगों के लिए पेयजल की मांग 50 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से अनुमानित तौर पर 145.5 करोड़ गैलन प्रतिदिन होगी।

दिल्ली में 2020 में 1.9 करोड़ लोगों के लिए 60 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से पेयजल की अनुमानित मांग 114 करोड़ गैलन प्रतिदिन है। मसौदे के अनुसार भविष्य में लगातार बढ़ती मांग आपूर्ति से अधिक हो सकती है।

शोधित पानी से तैयार किया सुंदर पार्क

दिल्ली की रिहायशी कालोनियों में इस प्रकार के प्लांट के उपयोग को लेकर एक प्रयोग किया गया है। मुनिरका एंक्लेव कालोनी में बने पार्क, वसंत उद्यान, की पूरी सिंचाई का काम रिसाकल पानी से किया जा रहा है। मुनिरका एंक्लेव आरडब्लूए के अध्यक्ष हीरालाल वांगनू ने बताया कि कुछ वर्ष पहले तक इस पार्क की हालत बेहद खराब थी। हमने डीडीए और नगर निगम से संपर्क किया, ताकि इसे ठीक किया जा सके। लेकिन पार्क में पानी की आपूर्ति को लेकर काफी परेशानी हो रही थी। जिसके बाद हमनें रिसाकल्ड पानी की पाइपलाइन बिछाई।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-- राष्ट्रीय सहारा ----------DATED-- 20/7/2022

डीडीए की रोहिणी योजना से जुड़ी सैकड़ों मूल फाइलें गायब!

■ सुबोध जैन

नई दिल्ली। एसएनबी

उप राज्यपाल वीके सक्सेना दिल्ली सरकार के प्रशासनिक अमले को सुधारने के लिए भले ही तत्परता से काम कर रहे हों लेकिन सीधे उनके नियंत्रण में आने वाला डीडीए अभी भी पुराने ढर्रे पर ही चल रहा है। आरोप है कि डीडीए की भूमि शाखा में आवंटन से संबंधित सैकड़ों फाइलें गायब हो गईं और भूखंड फ्री होल्ड के आवेदकों को खास मकसद से परेशान किया जा रहा है। मामला सतर्कता शाखा को सौंपा गया, लेकिन कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं हुई। हैरानी की बात यह है कि अब आयुक्त से लेकर डीडीए उपाध्यक्ष तक कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है।

दरअसल डीडीए ने रोहिणी आवासीय योजना के तहत जून 2012 में ड्रा निकला था। जिसके छह साल बाद अगस्त 2018 में सफल आवेदकों को भूखंड आवंटन की जानकारी दी गई और सितम्बर में कब्जा दे दिया गया। इसके बाद उन्हें जानकारी दी गई कि वह अपने भूखंड लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड करा लें। ऐसे ही एक आवेदक प्रेम चंद गुप्ता ने जून 2019 में अपना भूखंड फ्री-होल्ड कराने के लिए आवेदन किया और उसका शुल्क भी जमा करा दिया लेकिन भूखंड फ्री-होल्ड करने के बजाए उन्हें पत्र भेजकर कहा गया कि अपने वास्तविक दस्तावेजों के साथ पेश हों। अगस्त 2019 में वह वास्तविक दस्तावेज लेकर चले गए, लेकिन भूखंड को फ्री-होल्ड फिर भी नहीं किया गया। इसके बाद पता लगा कि इस आवासीय योजना के आवंटन से संबंधित सैकड़ों फाइलें गायब हो गई हैं। तब उन्होंने आवासीय भूमि निदेशक से लेकर आयुक्त भूमि निपटान और डीडीए उपाध्यक्ष तक से गुहार लगाई। उन्हें कहा गया कि डीडीए के पास उपलब्ध पार्ट फाइल खोलकर उनके आवेदन का निस्तारण कर दिया जाएगा। लेकिन तीन साल बाद भी ऐसा नहीं किया गया। सूत्रों की माने तो इसके पीछे डीडीए के उन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है जो फ्री-होल्ड आवेदकों से सुविधा शुल्क वसूलने की ताक में रहते है। यही वजह रही कि 28 जनवरी 2021 को मामला सतर्कता शाखा को सौप दिया गया। लेकिन इस मामले में अभी तक किसी भी दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में भूमि निपटान आयुक्त संजीव कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वह जानकारी जुटाकर ही कुछ बता पाएंगे लेकिन उसके बाद उन्होंने फोन उठाना ही बंद कर दिया और कहा कि उप निदेशक रोहिणी अभिनीत सपरा जानकारी दे सकते है। जब इसकी जानकारी डीडीए उपाध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता को देकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जनसंपर्क निदेशक को तथ्य उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौप दी। जब उनसे यह जानने का प्रयास किया गया कि फाइलें गायब करने के मामले में किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और आवेदकों के भूखंड फ्री-होल्ड क्यों नहीं किए जा रहे है ? तो वह भी जवाब देने तैयार नहीं है।

एक साल पहले सतर्कता शाखा को सौंपी गई थी मामले की जांच

डीडीए अफसर भूखंड फ्री-होल्ड कराने वालों को कर रहे परेशान

डीडीए आयुक्त और उपाध्यक्ष नहीं दे रहे किसी सवाल का जवाब